सं. एन-36011/13/2020-बीपीएंडएल (वॉल्यूम III)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक, 06 नवंबर, 2025

<u>सूचना</u>

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16.01.2014 को "भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशा-निर्देश" अधिसूचित किए थे। इन दिशा-निर्देशों की प्रति निम्न लिंक पर जाकर देखी जा सकती है :

https://mib.gov.in/sites/default/files/2025-07/policy-guidelines-for-television-rating-agencies-in-india-dt-16.01.2014-1.pdf

2. मंत्रालय ने उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए थे तथा समान संख्या के दिनांक 02.07.2025 के नोटिस के माध्यम से विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया/टिप्पणियाँ मांगी थीं।

3. प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया है तथा अब मंत्रालय प्रस्तावित संशोधनों में परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है, और प्रस्तावित संशोधन आदेश की एक प्रति संलग्न की गई है। इस संदर्भ में, मंत्रालय सामान्य जनता/हितधारकों से अनुरोध करता है कि वे प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी प्रतिक्रिया/टिप्पणियाँ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर (अर्थात् 05.12.2025 तक), अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ई-मेल पते sobpl[dash]moib@nic[dot]in पर भेजें।

संलग्नक: यथानुसार

6/11/2025

(गौरीशंकर केसरवानी)
अपर निदेशक (बी.पी. एन्ड एल.)
दूरभाष संख्या : 011-23386678